प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 30 अक्टूबर, 2021

विषय-वित्तीय वर्ष 2021-22 में मानक मद 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2290/डा0रा0म0लो0मे0सा0/वित्त एवं लेखा/2021, दिनांक 24 सितम्बर, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष तृतीय किश्त अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त एवं द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 2000.00+2000.00=4000.00 लाख क्रमशः शासनादेश संख्या-47/2021/71-2-2021-02/2018-टी0सी0-1, दिनांक 08 अप्रैल, 2021 एवं शासनादेश संख्या-78/2021/आई/ 82244/2021, दिनांक 24 जुलाई, 2021 द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ को मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अंतर्गत तृतीय किश्त के रूप में रू0 2000.00 लाख (रूपये बीस करोड. मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
(3) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।
(4) वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22, मार्च 2021 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्रतिबन्धों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्थान के वित्त नियंत्रक का होगा।
(5) निदेशक, संस्थान मानक मद 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) से कराये जाने वाले कार्यों/व्यय की मदों की प्राथमिकता निर्धारित करेंगे और सर्वप्रथम आउटसोर्स के माध्यम से उपलब्ध मानव संसाधन के मानदेय/पारिश्रमिक की मदों हेतु धनराशि का आहरण करेंगे।
(6) उक्त के पश्चात् व्यय की अन्य मदों यथा विद्युत, जलकर, भवन कर, औषधि, टेलीफोन आदि के व्यय जैसे महत्वपूर्ण मदों के लिए आहरण करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) संस्थान के वित्त नियंत्रक द्वारा मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) तथा आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद से होने वाले व्ययों के सम्बन्ध में विगत 03 वर्षों का विवरण विशेषकर आउटसोर्स आफ सर्विसेज के माध्यम से उपलब्ध मानव संसाधन का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) अतएव अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरण के साथ ही प्रश्नगत मद में आगामी किश्त के प्रस्ताव के साथ बिन्दु संख्या-7 पर अपेक्षित सूचनाएं भी उपलब्ध करायी जाय, जिससे आगामी किश्त की स्वीकृति पर विचार किया जा सके।

4- स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।

5- धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

6- प्रश्नगत अवमुक्त धनराशि 2000.00 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-031-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के राजस्व लेखा के लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, 105-एलोपैथी, 03-शिक्षा, 0325-डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1776/दस-2021-2022, दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
4. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(मुमताज अहमद सिददीकी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।